



राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:-प.17(8)/परि/2021

जयपुर दिनांक 24-11-2021


स्वीकृति आदेश संख्या 13/2021-22

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा माह अक्टूबर, 2021 के निःशुल्क/रियायती यात्रा के दावे की राशि 31,76,61,431.00/- रुपये (अक्षरे इकत्तीस करोड, छियेतर लाख, इकसठ हजार, चार सौ इकत्तीस रुपये मात्र) को बजट मद 3055-00-190-(12)-[01]-12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधी) में प्रावधित राशि में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

बजट मद 3055-00-190-(12)-[01]-12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधी) में राशि रुपये 133.80 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान भी किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृति राशि के उपयोग का उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण, अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर जारी की जा रही है।

यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 102105588 दिनांक 23.11.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

  
(सोहनलाल मीना)

शासन उप सचिव, परिवहन

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय राज्यमंत्री, परिवहन विभाग, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि 31,76,61,431.00/- रुपये (अक्षरे इकत्तीस करोड, छियेतर लाख, इकसठ हजार, चार सौ इकत्तीस रुपये मात्र) को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तांतरित करने का श्रम करावें परिवहन निगम के पत्र क्रमांक 11189 दिनांक 10.11.2021 में अंकितानुसार इस बजट मद में पूर्व में जारी की गयी राशि रुपये 11957.18 लाख का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु राशि जारी की गयी थी उसी प्रयोजनार्थ उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवा दिया जावेगा, कि शर्त पर स्वीकृति जारी की गयी है।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोषकार्यालय, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट-विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
24-11-2021

शासन उप सचिव, परिवहन